

प्रेषक,

बालकराम बासवान,
वित्त नियंत्रक
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रेषित,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
पिथौरागढ़/बागेश्वर।

संख्या 2145/ल0सि0/बजट-आवंटन(नाबार्ड)/2024-25 दिनांक : 18 मार्च, 2025

विषय:- नाबार्ड वित्त पोषित RIDE-XXVIII योजनान्तर्गत धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या E-38948/62/II(3)/2025-03(08)/2022 दिनांक 17-03-2025 द्वारा वर्ष 2024-25 में नाबार्ड वित्त पोषित RIDE-XXVIII योजनान्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रु0 60.1452 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में उक्त सन्दर्भित शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित खण्डों को निम्नानुसार धनराशि निर्गत की जा रही है:-

अनुदान संख्या-20

लेखाशीर्षक 4702-00-800-98-01

(धनराशि लाख रु0 में)

DDO कोड	खण्ड का नाम	कोषागार	निर्गत धनराशि
2235	लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	बागेश्वर	54.6452
2235	लघु सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	5.50
योग-			60.1452

(रूपये साठ लाख चौदह हजार पाँच सौ बीस मात्र)

अतः उक्तानुसार सम्बन्धित लघु सिंचाई खण्ड को रु0 60.1452 लाख मात्र की धनराशि का निर्गमन संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार सम्बन्धित खण्ड के निवर्तन पर व्यय हेतु किया जाता है।

संलग्न : उक्तानुसार।

भवदीय



(बालकराम बासवान)
वित्त नियंत्रक

संख्या /ल0सि0/आवंटन(नाबार्ड)/2024-25, दिनांक : उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्न को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-- सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2-- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3-- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
- 4-- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों (छायाप्रति संलग्न) में इंगित प्राविधानानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
- 5-- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों (छायाप्रति संलग्न) में इंगित प्राविधानानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उक्तानुसार।


(बालकराम बासवान)
वित्त नियंत्रक